वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

4-10(39)/2025/एचआर-II

Dated 28.11.2025

प्रेषक,

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में,

सीएसआईआर की समस्त प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख

विषयः कराधान प्रावधानों का अनुपालन-सेवानिवृत्ति के समय अर्जित छुट्टी के नकदीकरण से टीडीएस की कटौती के संबंध ।

महोदय/महोदया,

अवगत कराया जाता है कि सीएसआईआर की कई प्रयोगशालाओं/संस्थानों से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, चाहे वह अधिवर्षिता पर हो अथवा अन्यथा, के समय अर्जित छुट्टी के नकदीकरण से टीडीएस न काटे जाने के विषय में संदर्भ प्राप्त हुए हैं । यह मामला सीएजी ने भी सीएसआईआर की कई प्रयोगशालाओं/संस्थानों में अपने निरीक्षण के दौरान उठाया था, जिसमें यह देखा गया था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले छुट्टी वेतन (सैलरी लीव) के नकद समतुल्य से टीडीएस की कटौती न करना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10एए) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन था ।

लेखापरीक्षा में दूसरी बातों के साथ-साथ यह भी देखा गया है कि चूँकि सीएसआईआर एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों को टीडीएस से मिलने वाली छूट सीएसआईआर अथवा उसकी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कर्मचारियों को स्वत: नहीं मिलती है, और ऐसा लाभ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से विशिष्ट अनुमोदन लेना होता है ।

सीएसआईआर के विधि सलाहकार और एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) से सलाह करके मामले की जांच की गई । यह सुझाव दिया गया कि कर (टैक्स) के नियम सीएसआईआर पर उसी तरह लागू होते हैं जिस तरह वे अन्य स्वायत्त निकायों पर लागू होते हैं । अत:, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10AA)(i) के अंतर्गत छूट, जो केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है, वह सीएसआईआर अथवा उसकी घटक इकाइयों के कर्मचारियों को स्वत: नहीं मिलती है ।

28/11/2025

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788
Website : http://www.csir.res.in

उपर्युक्त के मद्देनज़र, सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, चाहे वह अधिवर्षिता पर हो अथवा अन्यथा, के समय कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण के भुगतान पर टीडीएस काटने के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के उपर्युक्त नियमों का सख्ती से पालन करें, जैसा कि स्वायत्त निकायों के मामले में लागू है ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

28/11/2025

(आलोक शर्मा)

उप सचिव

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, महानिदेशक, सीएसआईआर
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर
3. निजी सचिव, वित्त सलाहकार, सीएसआईआर
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर का कार्यालय
5. विधि सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
6. सीएसआईआर की सभी राष्टीय प्रयोगशालो/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक//वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/ प्रशासनिक अधिकारी/अवर सचिव
7. सीएसआईआर की सभी राष्टीय प्रयोगशालो/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/ वरिष्ठ वित् एवं लेखा नियंत्रक/उप वित् सलाहकार/ वित् एवं लेखा नियंत्रक/ वित् एवं लेखा अधिकारी
8. प्रमुख आई टी- सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने के अनुरोध सहित
9. कार्यालय प्रति